(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

रिव्यू प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/इंदौर/भू.रा./2017/6179 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2017 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग. 3786-पीबीआर/2016.

बलजीतसिंह पिता श्री जसवंतसिंह साहनी
निवासी-80, विष्णुपुरी कॉलोनी, मेन रोड़, इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1. कैलाश पिता मांगीलाल गोयल
   निवासी ग्राम दातोदा, तह. महू, जिला इंदौर
2. ओमप्रकाश पिता मांगीलाल गोयल
   निवासी ग्राम मेमंदी तह. महू, जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी एवं मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा सिमरोल तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर महू, जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम मेमंदी तहसील महू, जिला इंदौर भूमि सर्वे नम्बर 626/1 रकबा 0.758 हैक्टेयर भूमि स्थित है, उसके द्वारा दिनांक 30.05.2016 को विधिवत् सीमांकन कराया गया है, जिसमें आवेदक की भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा पाया गया है। अत: कब्जा वापस दिलाया जाये। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/अ-70/15-16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान अनावेदकगण की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26.10.2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 02.08.2017 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 निरस्त कर कार्यवाही स्थगित की गई। राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से उसे जो अधीनस्थ न्यायालय में जो विधिक सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है, उसे स्थगित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आदेश कायम रखा जाना उचित नहीं है।

(2) आवेदक की कृषि भूमि में और उसमें उसका सीमांकन होने के बाद विधिवत रूप से आवेदक की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने की कार्यवाही अनावेदकगण ने की होने से सीमांकन रिपोर्ट में अनावेदकगण का अवैध कब्जा अभी भी होने से उसे हटाये जाने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आवेदक ने संहिता की धारा 250 के अंतर्गत पी-6 का पेश किया है।

(3) आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सिर्फ वादपत्र पर लागू होता है, वह धारा 250 का आवेदन जो तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो, जिसमें आवेदन शब्द लिखा है, आवेदन

पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन सिर्फ वादपत्र में ही स्वीकृत हो सकता है। धारा 250 के आवेदन पर लागू नहीं होता है। यह विधि की स्थिति है कि इसके विपरीत इस न्यायालय के द्वारा चूक करते हुए त्रुटिपूर्ण विधिक की व्याख्या हो गई होकर उसे दुरूस्त किया जाकर दिनांक 02.08.2017 का आदेश निरस्त कर दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
अत: उनके द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 निरस्त कर दुरूस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में स्थगन दिया गया है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। उपरोक्त स्थिति में तहसील न्यायालय को चाहिए था कि वह व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार कर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित करते, किंतु तहसील न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है। तहसील न्यायालय के उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक निग. 3786/पीबीआर/2016 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2017 से आदेश पारित कर निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण में पारित आदेश में क्या अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है, यह आवेदक द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। और न ही पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन निरस्त किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 स्थिर रखा जाता है। पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर